न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), रामसनेही घाट, कोर्ट नं० 14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या–65/2008

सरोज प्रसाद मिश्रा बनाम वीरेन्द्र कुमार

30.03.2019

पत्रावली पेश हुई।

प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र ग–54 मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी के मकान की दीवाल से केवल पांच फिट दूर लगा एक पुराना नीम का पेड़ आंधी तूफान में कभी भी मकान पर गिर सकता है, जिससे मकान व जनहानि की सम्भावना बनी रहती है। उक्त पेड़ की डालें जो कि ज्यादा मोटी नहीं हैं, कटवा दी जाएं तो उसका भार कम हो जाएगा। यदि पेड़ मकान पर गिर गया तो मकान गिर जाएगा। अतः प्रार्थी के पेड़ की डाले कटवाने का आदेश पारित किए जाने की याचना की गयी है।

वादी की ओर से मौखिक रूप से आपत्ति की गयी है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग–54 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत वाद में विवादित भूमि से संबंधित यथास्थिति का आदेश पारित है, परन्तु प्रतिवादी के मकान के सामने एक नीम का पुराना पेड़ है जो जर्जर अवस्था में है, जिसके गिर जाने पर प्रतिवादी को अपूर्णनीय क्षति होने की सम्भावना है। इस कारण वादी द्वारा उक्त नीम के पेड़ की डालें कटवाने की याचना की गयी है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मौखिक आपत्ति करते हुए कथन किया गया है कि उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित है। कमीशन आख्या ग–14 के साथ संलग्न नक्शा नजरी में प्रतिवादी के मकान के बहुत करीब नीम का पेड़ होने की बात नहीं की गयी है एवं प्रतिवादी द्वारा स्वयं अपने जवाबदावा में कहीं भी नीम के पेड़ के विषय में कथन नहीं किया गया है। यहां पर अवलोकनीय है कि प्रस्तुत वाद में यथास्थिति का आदेश पारित है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की अर्जेंसी नहीं दिखायी गयी है। न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश के अनुपालन हेतु उभय पक्षकार बाधित हैं। अतः उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र ग–54 निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 25.04.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
कोर्ट नं० 14, बाराबंकी